शुल्क

21.1 संस्थायें समस्त राशियों को एक साथ जोडकर कुल राशि E-challan (परिशिष्ट–10) द्वारा जमा करवा कर विभाग के नाम के मूल E-challan की रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करे।

21.2 E-challan में कार्यालय का नाम **"11503-Dy. Dir, College Education, Jaipur"** तथा बजट हैड **"0202–01–103–02–01 संचालक, महाविद्यालय शिक्षा के द्वारा"** होना अनिवार्य है।

21.3 यदि संस्था ने गलत बजट हैड/कार्यालय के नाम से E-challan प्रस्तुत किया तो उसको अमान्य समझा जायेगा तथा संस्था इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगी। आयुक्तालय किसी भी स्तर पर इसमें संशोधन करने का आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। संस्था को आवेदित प्रकरण हेतु सही चालान प्रस्तुत करना होगा।

21.4 विभिन्न प्रकरणों हेतु शुल्क का विवरण निम्नलिखित है–

क्र. सं.	प्रकरण	सामान्य आवेदन शुल्क (रूपयों मे)
1	नवीन महाविद्यालयों के लिये (समस्त विषय/संकाय स्नातक स्तर)– (क) सहशिक्षा महाविद्यालय	1,00,000
	(ख) महिला महाविद्यालय	50,000
	(ग)उच्च शिक्षा की दृष्टि से पिछडे क्षेत्र (परिशिष्ट– 2)	50,000
	(घ) आरक्षित विधानसभा क्षेत्र (परिशिष्ट–3,4)	50,000
2	अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अभिवृद्धि/ स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र (प्रत्येक प्रकरण के लिए)	70,000
3	सहशिक्षा परिवर्तन/महिला शिक्षा परिवर्तत/ नाम परिवर्तन/ स्थान परिवर्तन/प्रबन्ध अन्तरण (प्रत्येक प्रकरण के लिए)	50,000
4	पूर्व संचालित महाविद्यालय द्वारा पूर्व में संचालित संकाय में नवीन विषय/विषयों हेतु आवेदन	50,000
5	पूर्व संचालित महाविद्यालयों द्वारा नये संकाय हेतु आवेदन	50,000
6	पूर्व संचालित महाविद्यालयों द्वारा स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन **प्रति विषय** हेतु आवेदन	30,000
7	**निरीक्षण शुल्क**– स्थायी /अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्ति के बाद प्रतिवर्ष	25,000
8	संविलयन (Merger) हेतु आवेदन	50,000

नोटः आवश्यक होने पर समय–समय पर विभाग स्तर पर उपर्युक्त शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय लिया जा सकेगा

21.5 स्थाई/अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त ऐसे समस्त निजी महाविद्यालय जिन्हें उस सत्र में अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है वे निजी महाविद्यालय भी समस्त सूचना ऑनलाइन प्रस्तुत कर निर्धारित निरीक्षण शुल्क अवश्य जमा करवावें।